1 A
Do 3

ालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

'द सं0–122/2021 धारा–144 दं0प्र0स0 (2)

राजकुमार यादव वगै0–बनाम– चितो महतो वगै0

शेख | –:आदेश:– | अभियुक्ति

यह वाद आवेदक कि ओर से विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से दं0प्र0स0 कि धारा 144 के तहत कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु वकालतनामा के साथ आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2021 को कार्रवाई प्रारंभ करने हुए दाखिल किया गया। जिसपर कार्रवाई करते हुए उभय पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 02 (दो) माह के लिए रोक लगई गई।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

मौजा– पुरहरा, थाना– बरही, जिला–हजारीबाग।

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
13	1387	07 डी0	उ0– परती कदीम द0– वजीर महतो पू0– धमना सीमाना प0– परती कदीम
25	1386	7 डी0	उ0– रोहन महतो द0– पुनीत महतो पू0– रोहन महतो प0– रास्ता

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सूना। उभय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित दाखिल–कारण पृच्छा एवं अन्य कागजातों के छायाप्रति अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि पुस्तैनी बदलेन वाली भूमि को लेकर विवाद है .चुकि मामला बदलेन/आपसी बंटवारा को लेकर है, जिसका निष्पादपन इस वर्तमान वाद के तहत किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने कि स्थिति नहीं है। वादी प्रतिवादी चाहे तो मामले को सिविल कोर्ट, व्यवाहार न्यायालय में दायर कर निपटारा कर सकतें है।

अतः वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।

लेखापित्त एवं संशोधित

25/10/21
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

25/10/21
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.08 23:49:16 +05:30
Location: 192.168.101.22